<u>न्यायालयः प्रथम जिला न्यायाधीश धार के द्वि. अति.जिला न्यायाधीश धार</u>
<u>(समक्ष : राहुल वर्मा)</u>

एम0सी0ए0 प्रकरण क्र0—46 / 2025
फाइलिंग क्रमॉक—1296 / 2025
सी0एन0आर0 क्र0—MP1101-005833/2025
प्रस्तुति दिनॉक 29.09.2025

निलेश पिता निर्भयसिंह रघुवंशी,
आयु—42 वर्ष, व्यवसाय—व्यापार,
निवासी—149, सिद्धार्थ लेक सिटी,
रायसेन रोड़ भोपाल (म.प्र.)

.........प्रतिवादी / अपीलार्थी

विरूद्ध

प्रखर पिता श्री सुनील रघुवंशी,
आयु—31 वर्ष, व्यवसाय—व्यापार,
निवासी—बसंत विहार कॉलोनी, धार (म.प्र.)

.............वादी / प्रत्यर्थी

....

न्यायालयः— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार, (श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा) के न्यायालय के नियमित व्यवहार वाद क्र—167ए / 2024 (आर0सी0एस—ए) फाइलिंग क्रं. 1196 / 2024, सी0एन0आर0 क्रमॉक एमपी—1101005777 / 2024, संस्थित दिनॉक 13.09.2024 में वादी द्वारा प्रस्तुत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा—151 सी0पी0सी0 पर पारित आदेश दिनॉक 29.08.2025 से उद्भूत यह विविध सिविल अपील।

....

अपीलार्थी द्वारा :— श्री चैतन्य त्रिपाठी, अधिवक्ता।
प्रत्यथी द्वारा :— श्री रणधीरसिंह चौहान, अधिवक्ता।

....

<u>:: आदेश ::</u>

(<u>आज दिनॉक 12.03.2026 को पारित</u>)

1- अपीलार्थी द्वारा यह विविध सिविल अपील आदेश 43 नियम—1 व

2 एवं धारा 151 सी0पी0सी के अन्तर्गत् न्यायालय :प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड धार, (श्रीमती मानसी सिंगोदिया) के न्यायालय के नियमित व्यवहार वाद क्रमॉक–167ए/2024 (आर0सी0एस0–ए) में पारित आदेश दिनॉक 29.08.2025 जिसके द्वारा वादी/प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत् आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 **स्वीकार** किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

2- इस आदेश में आगे सुविधा की दृष्टि से **''अपीलार्थी''** को **''प्रतिवादी''** एवं **''प्रत्यर्थी''** को **''वादी''** से संबोधित किया जावेगा एवं आदेश पारित करने वाले न्यायालय को **''विद्वान विचारण न्यायालय''** एवं पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 को **''आलौच्य आदेश''** के रूप में संबोधित किया जावेगा।

<u>वादोक्त स्थान</u>

3- वादी की ओर से प्रतिवादी के विरुद्ध ग्राम जेतपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रं. 490/3/1/1 रकबा 0.126 हेक्टेयर लगान 0.21 रुपये के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जिसे अत्र पश्चात वादोक्त स्थान के रुप में संबोधित किया जावेगा।

<u>वादी के अभिवचन</u>

4- वादी की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष घोषणा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया जाकर वाद के साथ आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. के तहत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी बसंत विहार कॉलोनी, धार, जिला धार म. प्र का स्थाई निवासी है। वादी ग्राम जेतपुरा स्थित टाटा मोटर्स के व्यवसायिक वाहनों के अधिकृत सर्विस स्टेशन का कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया संचालक है। प्रतिवादी भोपाल में निवास करता है एवं वादी का सगा बहनोई है। प्रतिवादी के साथ वादी की बहन कोमल का विवाह वर्ष 2012 में संपन्न हुआ था। जिसके पश्चात् से ही प्रतिवादी तथा वादी की बहन कोमल भोपाल में ही निवास करते है। वादी ने दिनांक 22.06.2018 को मुन्नालाल पिता घीसालाल जाट से उनकी एक मात्र स्वत्व मालकी एवं आधिपत्य की ग्राम जेतपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 490/3/1/1 पैकी रकबा 0.126 हेक्टेयर को उसकी स्व–अर्जित धनराशि से क्रय करने का सौंदा

12,50,000 / – रूपये (बारह लाख पचास हजार रूपये) में किया होकर उक्त दिनांक को ही रजिस्टर्ड अनुबंध पत्र मुन्नालाल जाट से निष्पादित करवाया था। सौंदा राशि में से मुन्नालाल जाट को 10,99,850 / –(दस लाख निन्यानवे हजार आठ सौ पचास) रूपये वादी ने उसके बैंक खाते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा धार के विभिन्न चेक के माध्यम से एवं कुछ राशि नगदी अदा की थी। विक्रय धन की शेष राशि 1,50,150 / –(एक लाख पचास हजार एक सौ पचास) रूपये भूमि की रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ था।

5- वादी ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि परिवार में चर्चा के दौरान वादी एवं उसके पिता सुनील रघुवंशी द्वारा प्रतिवादी की पत्नी को उक्त भूमि के सौदे के बारे में बताया गया था। इस पर कुछ समय पश्चात् प्रतिवादी की पत्नी कोमल द्वारा वादी एवं उसके पिता सुनील से यह निवेदन किया गया कि उसे भी व्यापार हेतु ऋण कि आवश्यकता है, किंतु बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु उसे बैंक में बंधक रखने हेतु अचल संपत्ति की आवश्यकता है, उक्त जेतपुरा वाली भूमि कि रजिस्ट्री उसके नाम पर करवा दीजिये जिस पर वह लोन उठा लेगी तथा लोन चुकाने के बाद भूमि की रजिस्ट्री पुनः वादी के नाम करवा देगी। वादी और उसके पिता सुनिल ने एकलौती बहन और पुत्री होने से भावनात्मक रुप से द्रवित होकर दिनांक 30 / 01 / 2019 को ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला धार कि व्यावसायिक परिवर्तित कृषि भूमि पटवारी हल्का नंबर 13 / 65 सर्वे कमांक 490 / 3 / 1 / 1 पैकी रकबा 0.126 हेक्टर परिवर्तित भू–आगम 4,536 / – रुपये होकर भूमि कि चतुरसीमा पुर्व में इसी सर्वे नम्बर की शेष कृषि भूमि से हद, पश्चिम में अन्य की भूमि से हद, उत्तर में इन्दौर–अहमदाबाद रोड से हद व दक्षिण में इसी सर्वे नम्बर की शेष कृषि भूमि से हद (जिसे आगे विवादित भूमि / दाविया भूमि / वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जावेगा) का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30 / 01 / 2019 को प्रतिवादी कि पत्नी तथा वादी की एकलौती बहन कोमल रघुवंशी के नाम पर ई–रजिस्ट्रेशन नंबर MP1190020 19A1069074 के द्वारा उसके हित में निष्पादित करवा दी थी।

6- वादी ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि उक्त व्यावसायिक परिवर्तित भूमि का समस्त विक्रय मुल्य वादी ने उसके युनियन बैंक आफ इंडिया शाखा धार के विभिन्न चेक के माध्यम से विभिन्न दिनांको को किया था। वादी द्वारा दाविया भूमि पर स्व–अर्जित धन के द्वारा टाटा मोटर्स कंपनी

के दिशा निर्देशों के अंतर्गत मशीनरी एवं बिल्डिंग निर्माण कार्य करवाया गया। दाविया सम्पत्ति पर रजिस्टर्ड अनुबंध पत्र दिनांक से ही वादी का आधिपत्य एवं नियंत्रण है, वादी दाविया भूमि पर कब्जा रखता है एवं उस पर निर्मित भवन में टाटा मोटर्स के अधिकृत सर्विस स्टेशन का संचालन कर रहा है। सर्विस स्टेशन के संचालन हेतु कर्मचारियों कि नियुक्ति भी वादी द्वारा टाटा मोटर्स कंपनी कि निर्धारित गाइड्लाइन् के अनुसार की गई है। विगत छह माह से प्रतिवादी को व्यापार में हो रहे नुकसान तथा उनकी नियत में खोट आने से प्रतिवादी कि कु—दृष्टि वादी की संपत्ति पर होकर प्रतिवादी दाविया भूमि कि रजिस्ट्री स्वयं कि पत्नी के नाम होने का अनुचित फायदा उठाकर दाविया भूमि को विक्रय करने पर अमादा है। प्रतिवादी वादी और उसके पिता सुनील पर दाविया भूमि को विक्रय करने हेतु दबाव डाल रहा है। प्रापर्टी के दलालो को दाविया भूमि पर लाकर, दाविया भूमि को दिखाकर भाव लगवा रहा है जबकी दाविया भूमि के किसी भी अंश पर प्रतिवादी का स्वत्व या आधिपत्य नहीं है, प्रतिवादी कि पत्नी कोमल भी इस कृत्य मे प्रतिवादी का साथ दे रही है।

7- वादी ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि दिनांक 31/08/2024 कि दोपहर में भी प्रतिवादी एक—दो दलालो को दाविया भूमि दिखाने लाया था। वादी द्वारा घर चल कर नाश्ता पानी खाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी एक दम नाराज हो गया ओर बोला कि इस दाविया भूमि को बेच कर ही तुम्हारे घर आउगा और नाश्ता भी करुंगा, खाना भी खाउगा। दाविया संपत्ति पर वादी का एक मात्र आधिपत्य अनुबंध दिनांक से है। वादी ही दाविया संपत्ति पर टाटा मोर्टस के अधिकृत सर्विस स्टेशन का संचालन करता है, वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ प्रकरण है, वादी उसी स्थान से आय अर्जित कर स्वयं तथा परिवार का पालन पोषण कर रहा है, सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। यदि ऐसी परिस्थिती में प्रतिवादी दाविया संपत्ति मे किसी भी प्रकार से प्रवेश करता है या अन्य से कराता है, या दाविया संपत्ति को विक्रय अतंरित करता है या अन्य से कराता है तो वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पुर्ति द्रव्य रुप में होना संभव नहीं है। अतः वादी द्वारा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है कि दावे के अंतिम निराकरण तक प्रतिवादी स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से दाविया संपत्ति या उसके किसी अंश को विक्रय अंतरित नहीं

करेंगे ना ही स्वयं या अन्य के माध्यम से उसमें प्रवेश करेंगे।

<u>प्रतिवादी के अभिवचन</u>

8- प्रतिवादी द्वारा आवेदन के जवाब में वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समस्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया है कि वादी को टाटा मोटर्स द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन नियुक्त करने हेतु अधिकृत नहीं किया है और न ही वादी संचालक है। प्रतिवादी धार में कई वर्षों से निवासरत है। वादी एवं प्रतिवादी आपस में साले एवं जीजा है और प्रतिवादी को भूमि क्रय करना थी इसलिए प्रतिवादी ने समय–समय पर वादी को धनराशि प्रदान की गई थी और वादी ने प्रतिवादी द्वारा दी गई धनराशि बैंक में समय–समय पर जमा की। दुर्भावना पूर्वक वादी ने प्रतिवादी की सज्जनता का लाभ लेकर अनुबंध पत्र प्रतिवादी के बजाय उसके नाम पर करवा ली। अनुबंध पत्र निष्पादित करने के बाद प्रतिवादी को अनुबंध पत्र में वादी का नाम अंकित होने की जानकारी होने पर प्रतिवादी ने आपत्ति की तब वादी ने प्रतिवादी की पत्नी के नाम से भूमि बिक्री पत्र निष्पादित करवाया है। बिक्री पत्र निष्पादन करने के पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी के मध्य सामाजिक विवाद होने के कारण वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह झुठा वाद प्रस्तुत किया है।

9- प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह भी अभिवचन किये है कि प्रतिवादी ने अपनी स्व–अर्जित आय से क्रय की गई भूमि का निर्माण कार्य किया है और निर्माण कार्य कर के वादी के निर्देश अनुसार टाटा मोटर्स को भवन किराये पर दिया है। वादी टाटा मोटर्स का अधिकृत एजेंट है और टाटा मोटर्स का व्यवसाय कर रहा है। यदि विवादित स्थान पर वादी द्वारा कम्पनी की और से सर्विस स्टैशन का संचालन संचालक की हैसीयत से किया जा रहा हैं, तो उस स्थिति में वादी सर्विस स्टेशन का स्वामी कानुनन नहीं होता है। प्रतिवादी विवादित सम्पत्ति किसी को विक्रय नहीं कर रहा है और अन्य को विक्रय करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी की पत्नी दाविया सम्पत्ति की रजिस्टर्ड स्वामी है और दाविया सम्पत्ति पर रजिस्टर्ड स्वामी होने के नाते वादी की पत्नी का कब्जा है। लोन लेने व बिक्री पत्र प्रतिवादी की पत्नी के नाम करवाने से संबंधित सम्पूर्ण कथन वादी ने दुर्भावना पूर्वक व षडयंत्र पूर्वक किये है। प्रतिवादी या प्रतिवादी की पत्नी को विवादित सम्पत्ति पर लोन लेने का कभी कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। अतः

वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

10- वादी के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उसके आवेदन पत्र के समर्थन में वादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में टाटा कंपनी का वादी को अधिकृत करने का पत्र, वादी का बैंक स्टेटमेंट, वादी का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को पत्र, दाविया संपत्ति का विक्रय अनुबंध पत्र, दाविया संपत्ति की रजिस्ट्री, कोमल रघुवंशी द्वारा श्यामलाल राठौर को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना पत्र दिनांक 19.12.2024 मय रसीद, वादी द्वारा उपपंजीयक कार्यालय धार एवं अभिभाषक शशी श्रीवास्तव को प्रस्तुत विज्ञप्ति पर आपत्ति, आपत्ति प्रस्तुत किए जाने की रसीद, कोमल रघुवंशी द्वारा वादी प्रखर रघुवंशी को प्रेषित नोटिस दिनांक 11.09.2024, प्रश्नाधीन भूमि की विक्रेता को वादी द्वारा अदा की गई विक्रय मूल्य की प्राप्ति रसीद, वादी के पिता द्वारा थाना प्रभारी नौगांव को दी गई शिकायत की छायाप्रतियां व वादी प्रखर रघुवंशी द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा 165(6) के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

11- प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में प्रतिवादी की पत्नी कोमल के पेनकार्ड की छायाप्रति, कोमल रघुवंशी के नाम का रघुवंशी मोटर्स का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रमाण पत्र, पंजाब नेशनल बैंक का बैंक स्टेटमेंट दिनांक 26.10.2024 से 26.11.2024 तक, विद्युत बिल की छायाप्रति, तहसीलदार धार द्वारा हल्का पटवारी को प्रेषित अमल बरामद प्रतिवेदन हेतु पत्र की छायाप्रति, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संयुक्त संचालक को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में प्रेषित पत्र, कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर द्वारा कोमल रघुवंशी को प्रेषित स्थल अनुमोदन बाबद् पत्र की छायाप्रति, कोमल रघुवंशी की भू—अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की छायाप्रति, खतौनी वर्ष 2025—26 एवं खसरा वर्ष 2025—26 की प्रति प्रस्तुत किए गए है।

12- विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा उभयपक्षों के अभिवचनों पर विचार करने के उपरांत वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत् आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को निराकृत करते हुए वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होना पाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र **स्वीकार**

किया गया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी / अपीलार्थी के द्वारा यह विविध अपील प्रकरण निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया गया है :–

<u>अपील के आधार :–</u>

1) यह कि विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश विधि व तथ्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2) यह कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार नही किया कि प्रकरण में वादी घोषणा बाबत् वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि वादी की बहन कोमल रघुवंशी का विवाह वर्ष 2012 में हो चुका है एवं उन्होंने प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 2019 में क्रय की व उनके पक्ष में नामान्तरण आदेश भी है व विभिन्न अनुमतियां भी है एवं प्रकरण में कोमल रघुवंशी को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। वादी का वादपत्र प्रथमदृष्ट्या ही सफल योग्य नहीं है, चूंकि विक्रय पत्र के आधार पर न ही न्यायशुल्क की गणना की गई और न ही पक्षकार संयोजित किये गये एवं न ही परिसीमा अवधि की गणना की गई एवं न ही उसे चुनौती दी गई।

3) विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2018 के अनुसार यह माना कि वादी द्वारा प्रतिफल राशि अदा की गई एवं उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण में है। प्रकरण में विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 22.06.2018 को निष्पादित हुआ है व दिनांक 30.01.2019 को पारिवारिक व्यवस्थाओं के आधार पर कोमल रघुवंशी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है, जिसमें गवाह के रूप में वादी के भी हस्ताक्षर है। प्रतिफल की राशि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 (घ) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा अदा की जा सकती है।

4) वादी ने उसके अभिकथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। वादी ने यह अभिकथन किया है कि उसकी बहन कोमल रघुवंशी को ऋण की आवश्यकता होने से उसने संपत्ति कोमल रघुवंशी के नाम से क्रय की, इस संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। यदि वादी को कोमल रघुवंशी को धन / ऋण अदा करना था तो वह स्वयं के नाम भूमि क्रय कर ऋण राशि कोमल रघुवंशी को अदा कर सकता था।

5) विचारण न्यायालय ने यह परिशीलन नहीं किया कि कोमल रघुवंशी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं की गई, अपितु इस आधार को विचारण न्यायालय ने गुणदोषों के आधार पर निर्णय के प्रक्रम पर निराकृत किया जाना लेख किया।

6) विचार न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया कि वादी ने

सूचना पत्र दिनांक 19.12.2022 आपत्ति दिनांक 11.10.2024 फर्जी तैयार की है, जिस पर कोमल रघुवंशी के हस्ताक्षर नहीं है, अपीलार्थी/प्रतिवादी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इन सूचना पत्रों पर कोमल रघुवंशी के हस्ताक्षर नहीं है, जिसे न्यायालय ने गुण दोषों के आधार पर वाद के अंतिम निराकरण में निर्धारित किया जाना बताकर प्रतिवादी की आपत्ति अस्वीकार की।

7) कोमल रघुवंशी न ही पक्षकार है एवं न ही सूचना पत्र, आपत्ति पर कोमल रघुवंशी अथवा प्रतिवादी/प्रार्थी के हस्ताक्षर है, फिर भी न्यायालय ने अन्य साक्ष्य को दरकिनार कर अविश्वसनीय दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित किया है।

8) विद्वान विचारण न्यायालय ने सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के निर्धारण में कोई भी तथ्य एवं साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया। वादी द्वारा कोई भी ऐसे तथ्य प्रकट नहीं किये, जिससे यह सिद्व हो सके कि उसके पक्ष में प्रकरण निराकृत हो सकता है अथवा उसके पक्ष में सुविधा का संतुलन है व अपूर्णीय क्षति कारित की जा सकती है अतः अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2025 निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि में प्रतिवादी क्रमांक–1 न कोई हस्तक्षेप करे न कब्जा करे न निर्माण करने का प्रयास करे व अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

13- <u>**अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्न हैं कि–**</u>

1. क्या प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है?

2. क्या अपीलार्थी/वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्धारित मापदण्ड प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के सिद्धांत प्रमाणित होते है ?

3. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 29.08.2025 विधि एवं तथ्यों की उचित विवेचना पर आधारित न होकर, अपास्त किये जाने योग्य है ?

<u>**–::: निष्कर्ष, कारण एवं आधार :::–**</u>

<u>**विचारणीय प्रश्न क्रमॉक–1 :–**</u>

14- उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से

प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी संक्षेप में इस प्रकार है कि उसके द्वारा प्रकरण की सूची अनुसार आपराधिक प्रकरण जो कि थाना नौगांव जिला धार में प्रत्यर्थी के पिता सुनिल रघुवंशी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 304ए के तहत वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था उस प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपीयां प्रत्यर्थी बगैर किसी अनुचित विलंब के प्रतियां प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिलिपीयां प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु अत्यंत आवश्यक है प्रतियां प्रकरण के भौतिक आधिपत्य से संबंधित होकर प्रत्यर्थी ने संज्ञान में आते ही उसके अभिभाषक को जानकारी प्रदान कर प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन लगाकर प्राप्त की है, जो प्रत्यर्थी सूची अनुसार पेश कर रहा है। प्रस्तुत दस्तावेज बगैर किसी अनुचित देरी के पेश है जो कि प्रकरण में न्यायालय को न्यायदान में सहायता प्रदान करेंगे। अतः आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए सूची अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने बाबत् आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

15- अपीलार्थी की ओर से आवेदन पत्र का मौखिक जवाब प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया गया है कि आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रावधान विविध अपील प्रकरण में लागू न होकर उक्त दस्तावेज वर्ष 2021 के है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज पूर्व से प्रतिअपीलार्थी के ज्ञान में होकर प्रतिअपीलार्थी चाहता तो विचारण न्यायालय के समक्ष ही उक्त दस्तावेज पेश कर सकता था परंतु उसके द्वारा ऐसा न करते हुए अत्यंत विलंब से आवेदन पत्र अपील के प्रारंभ में प्रस्तुत किया है, जो कि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

16- आवेदन पत्र के संबंध में प्रकरण का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलार्थी अधिवक्ता ने यह प्रकट किया है कि उक्त आवेदन पत्र विविध अपील में प्रचलनशील नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत **Dr. Chandra Deo Tyagi vs Additional District Judge Court No.1 AIRONLINE 2020 ALL 1563, Hemareddi (D) Through Lrs. vs Ramachandra Yallappa Hosmani & other (2019) 6 SCC 756** सादर अनुकरणीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस आशय का मत प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 41 नियम 27 से संबंधित आवेदन पत्र विविध अपील में भी ग्राह्य किये जा सकते है इस संबंध में न्यायदृष्टांत का सुसंगत अंश इस प्रकार है कि

> Thus, it is settled in law that the procedure is something designed to facilitate justice. The procedural laws are not

treated as an enactment providing for punishments or penalties. They are the handmaid of justice and are to be construed in a way to promote justice and not to frustrate it. Any strict interpretation which defeats justice is to be avoided in the light of this object. The applicability of Order 41 Rule 27 to appeals from orders is to be considered to advance justice and the expression "so far as may be' is to be construed liberally, keeping in view, the object of Rule 27 which is to enable the appellate court to pronounce a satisfactory judgment, if in its judicial discretion the proposed additional evidence is required for pronouncing a satisfactory judgment. The applicability of Order 41 Rule 27 C.P.C. cannot be restricted to the appeals from decrees. The appellate court has to pronounce satisfactory judgment in appeal from orders as well. If it requires the additional evidence to enable it to pronounce a satisfactory judgment it has power & jurisdiction to take additional evidence in appeal from order as well, and particularly when there is no interdict in C.P.C. This Court therefore, holds that Order 41 Rule 27 C.P.C. applies to the Appeal filed under Section 108 r/w Order 43 Rule 1 (r) C.P.C.

17- ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि के आलोक में आवेदन पत्र प्रकरण में ग्राह्य किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है।

18- अब जहां तक आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत दस्तावेजों को ग्राह्य किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायदृष्टांत ***मलयालम प्लाटेंशन लिमिटेड विरूद्ध केरल राज्य ए.आइ.आर 2011 एस.सी. 559*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निम्न परिस्थितियां बतायी गयी है–

(अ) विचारण न्यायालय ने उस साक्ष्य को लेने में, अवैध रूप से इंकार कर दिया है, जिसे लेने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, अथवा

(ब) वह साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाना है वह सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद उस पक्षकार को उपलब्ध नहीं हो सका था, अथवा

(स) अतिरिक्त साक्ष्य अपील न्यायालय के मामले के निराकरण के लिए आवश्यक प्रकृति का हो, अथवा

(द) समान प्रकार का कोई अन्य तात्विक कारण।

19- माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के संबंध में **<u>न्यायदृष्टांत भारत संघ विरूद्ध इब्राहीमउद्दीन (2012) 8 एस.सी.सी. 148</u>** की कंडिका–36 में यह प्रतिपादित किया गया है कि–

> " The general principle is that the appellate court should not travel outside the record of the lower court and cannot take any evidence in appeal. However, as an exception, Order 41 Rule 27 CPC enables the appellate court to take additional evidence in exceptional circumstances. The appellate court may permit additional evidence only and only if the conditions laid down in this Rule are found to exist. The parties are not entitled, as of right, to the admission of such evidence. Thus, the provision does not apply, when on the basis of the evidence on record, the appellate court can pronounce a satisfactory judgment. The matter is entirely within the discretion of the court and is to be used sparingly. Such a discretion is only a judicial discretion circumscribed by the limitation specified in the Rule itself."

20- इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुती को अधिकार के रुप में नहीं मान सकता है वरन न्यायालय को यहां यह देखना है कि क्या सम्यक तत्परता के उपरांत भी प्रतिअपीलार्थी के उक्त दस्तावेज को पूर्व में प्रस्तुत कर सकता था अथवा नहीं। इस संबंध में प्रतिअपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने पर यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा उक्त दस्तावेज प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.01.2026 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि यह विविध अपील प्रकरण दिनांक 29.09.2025 को प्रस्तुत होकर उक्त दस्तावेज प्रतिअपीलार्थी के पिता के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र नौगांव में पंजीबद्ध अपराध क्रं. 36 / 2021 अंतर्गत धारा 304ए भादवि से संबंधित है। ऐसी स्थिति में वास्तविकता में उक्त प्रकरण मूल वाद प्रस्तुती दिनांक 13.09.2024 से भी तीन वर्ष पूर्व का होकर उक्त दस्तावेज प्रतिअपीलार्थी के पिता से संबंधित दस्तावेज है। प्रतिअपीलार्थी और उसके पिता पृथक पृथक रहते हैं और प्रतिअपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी न हो ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण की जानकारी प्रतिअपीलार्थी को वर्ष 2021

से होना दर्शित होकर प्रतिअपीलार्थी चाहता तो पूर्व में विचारण के दौरान भी दस्तावेज को विचारण के दौरान प्रस्तुत कर सकता था परंतु उसके द्वारा ऐसा न करते हुए अपील के प्रक्रम पर उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है जो कि अत्यंत विलंब से प्रस्तुत होना दर्शित होते हैं। अतः प्रतिअपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत न होने से निरस्त किया जाकर प्रतिअपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर नहीं लिये जाते हैं।

विचारणीय प्रश्न क्रमॉक–2 व 3 :–

21- उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में जहां तक प्रथम दृष्टया प्रकरण का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायदृष्टांत **Shankarlal Vs State of MP 1978 MPLJ 419 & Shankarlala Vs State of MP 1981 AIR 1426** में यह अवधारित किया गया है कि प्रथम दृष्टया मामला दिखाये जाने के लिए प्रथमतः आवेदक को यह स्थापित करना चाहिए कि उसका कोई विधिक अधिकार अथवा स्वत्व जिसका वह अभिकथन कर रहा है, उसका अस्तित्व है और ऐसे विधिक अधिकार एव स्वत्व के संबंध में कोई ऐसा विधिक एवं सद्भाविक गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुआ हो जिसका विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की वांछा करने वाले पक्षकार को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह भी प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित करना चाहिए की ऐसा विधिक अधिकार उसके पक्ष में अस्तित्ववान है। इसी संबंध में न्यायदृष्टांत **Tarun v. Goma and ors. ILR 2023 MP 135, Nagar Palika Parishd Malajkhand Vs Hindustan Copor Ltd 2009 (1) MPHT 48, United Comarcial Bank Vs Bank of India 1981 AIR SC 1426** भी सादर अनुकरणीय है।

22- इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में वादी की ओर से प्रस्तुत अभिवचन एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर यह स्पष्ट है कि वादी के द्वारा वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वादोक्त स्थान उसके द्वारा विक्रेता मुन्नालाल को दिनांक 22.06.2018 को 12,50,000/– रुपये में क्रय किया गया होकर उक्त संव्यवहार की प्रतिफल राशि की अदायगी हेतु वादी के द्वारा 10,99,850/– रुपये उसके युनियन बैंक के खाते से मुन्नालाल को दिया जाना तथा 1,50,150/– रुपये रजिस्ट्री के समय दिया जाना बताया है और यह भी बताया है कि उसकी बहन को

ऋण की सुरक्षा हेतु अचल संपत्ति की आवश्यकता है इस वजह से रजिस्ट्री उन्होंने उनकी बहन कोमल के नाम पर करायी थी और कोमल ने यह आश्वासन दिया था कि उसका ऋण समाप्त होने के पश्चात वह भूमि को पुनः वादी के नाम पर अंतरित कर देगी परंतु पश्चात में उसके पति के विचार परिवर्तित हो गये होकर अब उसकी बहन का पति अर्थात प्रतिवादी उसी विक्रय पत्र के आधार पर भूमि को अन्य व्यक्तियों को अंतरित करने का प्रयास कर रहा है।

23- वहीं इसके विपरीत प्रतिवादी इन सभी तथ्यों का खण्डन करते हुए यह बताया है कि वास्तविकता में प्रतिवादी ने ही समय समय पर वादी को राशि प्रदान की है और वही राशि वादी ने मुन्नालाल को प्रदान की थी और अनुबंध पत्र वादी को प्रतिवादी के नाम पर कराना था परंतु वादी ने जानबुझकर अनुबंध पत्र स्वयं के नाम पर करा लिया था जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी के द्वारा आपत्ति करने पर वादी ने उसकी पत्नी के नाम पर विक्रय पत्र निष्पादित कराया था और प्रतिवादी ने स्वअर्जित आय से वादोक्त स्थान पर निर्माण कराया है। वादी जानबुझकर असत्य आधारों पर यह वाद प्रस्तुत कर रहा है।

24- इस प्रकार उभयपक्ष ने एक दूसरे के विपरीत अभिवचन करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत की है। जहां तक प्रथम दृष्टया प्रकरण का प्रश्न है तो इस संबंध में वादी ने वाद प्रस्तुत किया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण स्थापित करने का दायित्व वादी पर है और वादी ने संपूर्ण संव्यवहार के संबंध में दिनांक 22.06.2018 को मुन्नालाल के द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित किया गया अनुबंध पत्र की छायाप्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की है जिससे यह स्पष्ट है कि दिनांक 30.01.2019 को निष्पादित विक्रय पत्र के पूर्व वादोक्त स्थान को क्रय करने का अनुबंध वादी के द्वारा ही किया गया था और उक्त अनुबंध पत्र के अनुक्रम में प्रतिफल राशि की अदायगी वादी के द्वारा की गयी हो इस संबंध में वादी के द्वारा उसका स्वयं का युनियन बैंक आफ इण्डिया के खाता क्रं. 538205040000108 का दिनांक 05.01.2018 से 31.12.2018 तक का स्टेटमेंट भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया है ,जिसमें वादी के खाते से दिनांक 21.02.2018, 27.02.2018, 01.03.2018, 02.06.2018, 27.06.2018, 28.06.2018 को मुन्नालाल को अलग अलग राशि चैक के माध्यम से अदा की गयी है। इस प्रकार विक्रय पत्र निष्पादन के पूर्व वादी के द्वारा प्रतिवादी को उसके

बैंक खाते के माध्यम से चैक के माध्यम से प्रतिफल राशि का भुगतान किया गया है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वास्तविकता में वादोक्त स्थान को वादी के द्वारा ही क्रय किया जा रहा था। इस बात की पुष्टि वादी की ओर से प्रस्तुत टाटा कंपनी के पत्र से भी होती है, जिसमें टाटा कंपनी की ओर से वादी को वादोक्त स्थान पर सर्विस स्टेशन संचालित करने हेतु अधिकृत भी किया गया है। इसी संबंध में वादी के द्वारा दिनांक 07.06.2018 को निष्पादित की गयी प्राप्ति रसीद भी अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी, जिसमें भी विक्रेता मुन्नालाल के द्वारा 2,99,850 / – रुपये की राशि वादी से प्राप्त करने का उल्लेख है। इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज अत्यंत महत्वूपर्ण प्रकृति के दस्तावेज होकर उससे प्रारंभिक रुप से वादी के अभिवचनों का समर्थन होता है।

25- जहां तक प्रतिवादी के द्वारा लिये गये बचाव का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रतिवादी ने यह बताया है कि उक्त प्रतिफल राशि उनके द्वारा धीरे धीरे वादी को दी गयी थी और वादी ने उक्त राशि उसके खाते में संधारित की थी, तो ऐसी स्थिति में राशि प्रतिवादी से वादी के पास भुगतान होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व प्रतिवादी पर था परंतु अभिलेख पर ऐसी कोई सुदृढ प्रारंभिक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादोक्त स्थान क्रय करने हेतु प्रतिफल राशि का भुगतान प्रतिवादी अथवा उसकी पत्नी के द्वारा वादी को किया जाता रहा हो। प्रतिवादी ने पंजाब नेशनल बैंक के भी दस्तावेज प्रस्तुत किये है उक्त दस्तावेज भी विक्रय संव्यवहार के पश्चात के होकर उससे भी यह दर्शित नहीं होता है कि राशि का भुगतान प्रतिवादी अथवा उसकी पत्नी के द्वारा किया गया हो। इसके साथ ही वर्तमान में वादोक्त स्थान पर व्यवसाय का संचालन वादी के द्वारा किया जाना ही प्रतिवादी ने उसके जवाब की कण्डिका 5 में स्वीकार किया है। जिसके आधार पर यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान में वादोक्त स्थान पर व्यवसाय का संचालन वादी के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से न ही उसके अभिवचनों की पुष्टि होती है और न ही वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का कोई खण्डन होता है।

26- इस प्रकार वादी की ओर से प्रथम दृष्टया प्रकरण को स्थापित करने हेतु जो भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है

उसके संबंध में प्रतिवादी की ओर से लिये गये बचाव युक्तियुक्त एवं संभाव्य होना प्रतीत नही होते है बल्कि वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से तो इस बात की पुष्टि होती है कि वास्तविकता में वादोक्त स्थान के संबंध में समस्त कार्यवाही एवं संव्यवहार वादी के द्वारा ही निष्पादित किया गया है यद्यपि वादोक्त स्थान के संबंध में विक्रय पत्र प्रतिवादी की पत्नी के नाम पर पंजीकृत है परंतु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त विक्रय पत्र के अनुक्रम में प्रतिफल राशि का भुगतान प्रतिवादी की पत्नी के द्वारा किया जाना दर्शित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यद्यपि वादोक्त स्थान के पंजीकृत स्वामी प्रतिवादी की पत्नी है परंतु प्रतिफल राशि का भुगतान वादी के द्वारा किया गया होकर वर्तमान में व्यवसाय का संचालन भी वादी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि वास्तविक स्थिति का निर्धारण साक्ष्य लेखबद्ध कर किये जाने के पूर्व यदि प्रतिवादी के द्वारा वादोक्त स्थान को किसी भी प्रकार से अन्य संक्रमित कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर वादी का वाद लाने का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा एवं उससे वाद की बाहुल्यता भी बढेगी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में होना प्रमाणित है।

27- जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न है, पूर्व के विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी के द्वारा वादोक्त स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को वाद लंबित रहने के दौरान विक्रय कर दिया जाता तो निश्चित तौर पर उससे असुविधा या क्षति वादी को ही होना दर्शित होता है। प्रतिवादी को किसी प्रकार की असुविधा अथवा क्षति होना दर्शित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को किसी प्रकार की क्षति अथवा असुविधा होना दर्शित नहीं होता है। अतः सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णनीय क्षति भी वादी के पक्ष में होना प्रमाणित पाया जाता है।

28- इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के तथ्य को प्रारंभिक रूप से स्थापित करने का दायित्व वादी का था एवं उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक साक्ष्य के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति वादी के पक्ष में होना स्थापित है, अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थापित मापदण्ड प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं

अपूर्णनीय क्षति वादी के पक्ष में प्रमाणित होना मानने में एवं वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत् आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को स्वीकार किये जाने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई वैधानिक त्रुटि कारित की जाना परिलक्षित नहीं होता है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित **आदेश दिनॉक 29.08.2025 की पुष्टि करते हुए,** अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत यह **विविध अपील निरस्त** की जाती है।

29- उभय पक्ष अपना–अपना अपील व्यय स्वयं वहन करेंगे।

30- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर प्रमाण पत्र अनुसार अथवा तालिका अनुसार, जो भी न्यून हो, वह देय हो। तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

31- इस आदेश की प्रति के साथ विद्वान् विचारण न्यायालय का अभिलेख सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विधिवत् वापस किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 12.03.2026 को हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर, पारित।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही/–

(राहुल वर्मा)
प्रथम जिला न्यायाधीश धार के द्वितीय
अति. जिला न्यायाधीश, धार (म.प्र.)

सही/–

(राहुल वर्मा)
प्रथम जिला न्यायाधीश धार के द्वितीय
अति. जिला न्यायाधीश, धार (म.प्र.)

RAHUL VARMA

Digitally signed by RAHUL VARMA
Date: 2026.03.12 16:50:02 +0530